



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

फा. सं. 11-17/2003-केविसं (प्रशा - 1)

दिनांक 10.12.2018

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :- केविसं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण समिति के गठन के संबंध में

महोदय / महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित हैं उनकी शिकायतों पर उचित विचार तथा समय पर उनका निवारण सुनिश्चित करने के लिए तथा भारत सरकार द्वारा जारी समय-समय पर आदेश के अनुपालन में, तत्काल प्रभाव से केविसं (मुख्या.) में निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मिकों की एक समिति गठित की गई है :-


- 1) श्री एस. विजय कुमार, संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) - संयोजक
- 2) श्री सुबोध कुमार सरोहा, अनुभाग अधिकारी (शैक्षिक) - सदस्य
- 3) श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकाारी - सदस्य

यह समिति केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 159 में निर्दिष्ट 'कर्तव्यों और कार्यों' के संबंध में किए गए प्रावधान का पालन करेगी ।

अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसे अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों तथा सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों के बीच इन निर्देशों के साथ परिचालित किया जाए कि इस पत्र में दी गई सभी विषय वस्तुओं को विद्यालय के कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाए ।

इसे आयुक्त, केविसं के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,


(गौतम बेनर्जी)

सहायक आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि :-

1. समिति के संयोजक तथा संबंधित सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. आयुक्त, केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ ।

3. अपर आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक), केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
4. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) तथा मुख्य शिकायत अधिकारी, केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली ।
5. समस्त अधकरी / अनुबाग अधिकारी, केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. निदेशक , समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान, ग्वालियर / मुंबई / मैसूर / चंडीगढ़ / भुवनेश्वर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, मॉस्को / काठमांडू / तेहरान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. उपायुक्त (ईडीपी), केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ ।